

Sixteenth Loksabha

an>

Title: Election of one member of Lok Sabha to serve as member of the Coir Board (Motion adopted).

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिराज सिंह): अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूँ :--

“कि कयर उद्योग नियम, 1954 के खण्ड (ड.) नियम 4 के उपनियम (1) और नियम 5 के उपनियम (2) के साथ पठित कयर उद्योग अधिनियम, 1953 की धारा 4 की उपधारा (3) के खंड (ड.) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निर्देश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधधीन मंत्री के रूप में नियुक्त किए गए श्री अनंत कुमार हेगड़े के स्थान पर कयर बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।”

HON. SPEAKER: The question is:

“That in pursuance of clause (e) sub-section (3) of Section 4 of the Coir Industry Act, 1953 read with clause (e) sub-rule (1) of Rule 4 and sub-rule (2) of Rule 5 of the Coir Industry Rules, 1954, the members of this House do proceed to elect, in such manner, as the Speaker may direct, one member from amongst themselves to serve as member of the Coir Board, *vice* Shri Anant Kumar Hegde appointed as Minister subject to the other provisions of the said Act and the Rules made thereunder.”

The motion was adopted.

... (Interruptions)

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: Now, the House will take up ‘Zero Hour’.

Prof. Prem Singh Chandumajra.

... (Interruptions)

12/3/2018

माननीय अध्यक्ष : चन्द्रमाजरा जी एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कह रहे हैं।

...(व्यवधान)

-

12.09 ½ hrs